

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

RTPS APPLICATION NO. 0387

(देखे अभिलेख 941 का नियम 26)

04,03/13

तारीख 04/03/13

से 24/04/11

तक

अनुमंडल- पटना सिटी

जिला - पटना

केश का प्रकार-दाखिल खारीज

दाखिल खारीज बाद सं०

13

/2013-2014

हल्का सं० 03

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
वारे में
टिप्पणी
तारीख सहि

13/13

श्री/श्री मती हुना राम व श्री शंभुहन राम

पिता/पति श्री/श्री मती प्रभु राम

ग्राम बनषी पो० इलाहाबाद थाना जंसीचक्र

जिला पटना ने केवाला सं० 2953 दिनांक 24.06.92 के

आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है:-

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा	रकबा(ए.-डि में)	लगान
<u>बनषी</u>	<u>61</u>	<u>50</u>	<u>1447</u>	<u>0-05</u>	<u>0.40</u>

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें। अभिलेख दिनांक 12/03/13 को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्म० का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।

हल्का कर्म० ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी विकेता / प्राक्सकर्ता / पूर्व विकेता/ दस्तकर्ता हुना राम वरुद सखीचन्द्र राम

के नाम से कायम है। प्रश्नगत जमीन गै०म०मा/आम.भू-दान,भू-हदबंदी एवं सैरात से मुक्त है। है। आवेदक/आवेदिका का दखल कब्जा है। तदनुसार जमाबंदी रैयत को खास सूचना एवं

महाल पर आम सूचना निर्गत कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/04/13

को उपास्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

P. T. O.

21/04/13

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहा

आदेश

हल्का सं० ०३ दाखिल खारीज बाद सं० १५ / 2013-2014

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

604/13
4/11/14
अभिलेख उपस्थापित। महाल पर निर्गत जमाबन्दी रैयत (विक्रेता/पावसदाता/पूर्व विक्रेता) को निर्गत खास नोटिस का तामिला प्राप्त नहीं है चूंकि नोटिस तामिला कराने गए अनुसेवी/चौकिदार ने प्रतिवेदित काया है कि नोटिस वनाम जमाबन्दी रैयत से मुलाकात नहीं हुआ परंतु महाल पर निर्गत आम सूचना का तामिला प्राप्त है। आज तक किसी का आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन, वर्तमान में दखल कब्जा व अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर लगान वसूली के मद्देनजर दाखिल खारिज की जा दी जाती है तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहा।

अंचलधिकारी
फतुहा।